# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना सिंघवी, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 40/2023 एल.आर.एक्ट** **GCMS No. 2023/44**

1. राम सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख हाल साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ़।
2. गुरदयाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख हाल साकिन निरवाणा तहसील सूरतगढ़।

— अपीलान्ट

**बनाम**

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ज्वाला सिंह जाति रायसिख साकिन सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/1 गुरनाम सिंह पुत्र औंकार सिह जाति रायसिख साकिन सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

**उपस्थितः** श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स
श्री करण सिह तंवर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1/1

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

## निर्णय

**दिनांक 20.03.2024**

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम चक 35 ए.पी.डी का मुरब्बा नम्बर 268 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 एवं 23 ता 25 कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट के पिता हाकम सिंह पुत्र बहादूर सिंह बतौर कलेमेन्ट कस्टोडियन आवंटन हुई। हाकम सिंह पुत्र बहादूर सिंह की मृत्यु के पश्चात जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.07.1984 के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत ने विरासतन इंतकाल दिनांक 13.06.1996 दर्ज कर दिया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेंन्द्र सिह (मृत्तक) द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 11.06.1996 के विरूद्ध यह कहते हुए अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में प्रस्तुत की है कि मेरे पक्ष में हाकम सिंह का इंकरारनामा हैं। उक्त अपील में अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 31.08.2001 द्वारा विरास्तन इंतकाल दिनांक 11.06.1996 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी की अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य समुचित अवसर देने एवं मौका पर कब्जा काश्त की पूर्ण जांच करने के बाद इस प्रकरण का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियमानुसार निस्तारण किया जावें। उक्त आदेश दिनांक 31.08.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है कि ग्राम चक 35 ए.पी.डी का मुरब्बा नम्बर 268 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 एवं 23 ता 25 कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट के पिता हाकम सिंह पुत्र बहादूर सिंह बतौर कलेमेन्ट कस्टोडियन आवंटन हुई। हाकम सिंह का देहान्त दिनांक 13.02.1976 को हो गया। हाकम सिंह के देहान्त के पश्चात पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.07.1984 की पालना में विरास्तन इंतकाल संख्या 42 दिनांक 13.06.1996 को ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश दिनांक 11.06.1996 के विरूद्ध यह कहते हुए अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में प्रस्तुत की है कि मेरे पक्ष में हाकम सिंह का इंकरारनामा हैं। अपीलांट के पिता हाकम सिंह ने महेन्द्र सिह के पक्ष में ना ही कोई रजिस्टर्ड बेयनामा किया था, ना ही उसके पक्ष में कोई इन्तकाल था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन था कि उसके पक्ष में कोई इकरारनामा दिनांक 23.10.1982 का है जो हाकम सिंह द्वारा किया गया था। स्पष्टतया गलत है क्योंकि हाकम सिह का देहान्त सन 1976 में हो चुका था। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल किया गया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी को अपील होनी चाहिए थी। अति. जिला कलक्टर का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। पुर्नवास अधिकारी का निर्णय दिनांक 27.07.1984 को आज तक चेलेन्ज ही नही किया गया था उसी के अनुसार इंतकाल दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ईकरारनामा किसी हाकम सिंह साकिन बिन्जौर से किया था जो अलौटी नही था ना ही ईकरारनामें की कोई बैधता है ना ही कोई अधिकार मिलते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम अपील पेश करने का महेन्द्र सिंह को कोई अधिकार ही नही था मात्र ईकरारनामा था वह भी फंर्जी था इस आधार पर अति. जिला कलक्टर ने अवैध रूप से इंतकाल खारिज कर दिया जो गलत हैं। इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2001 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 13.01.2023 को हो गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मृत्यु पूर्व उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वसीयत अपने भतीजे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 गुरनामसिंह पुत्र औकार सिंह के

पक्ष में कर दी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर कहां कि महेन्द्र सिंह एवं उसका स्वंय का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। पूर्व में दिनांक 13.06.1996 को जो इंतकाल दर्ज किया गया वह सहीं हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने अपनी सहमति प्रदान की कि इंतकाल दिनांक 13.06.1996 यथावत रखा जाए एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 को कोई एतराज नहीं है।

8. हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो इंकरारनामा किया जाना बताया गया है वह वादग्रस्त भूमि के आवंटी हाकम सिंह की मृत्यु दिनांक 23.10.1982 के बाद होना पाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने लिखित में कथन किया कि उसका उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं साथ ही अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में जो भी कथन किए उसके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2001 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2001 निरस्त किया जाता है।

9. तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/24

(वंदना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर